चैकिंग के नाम पर अवैध वसूली करते
दो पुलिसकर्मी 'लाइन हाजिर'

फरीदाबाद (म.मो.) दिनांक 7-8 की मध्य रात्रि को एसीपी ट्रैफ़िक राजकुमार का ड्राइवर हवलदार राम कुमार व गनमैन अपने एसीपी की सरकारी गाड़ी लेकर अपने ट्रैफ़िक थाने के सामने वाहनों की 'चैकिंग' करने जुट गये। विदित है कि इन दोनों पुलिसकर्मियों को वाहन चैकिंग के अधिकार नहीं हैं, न ही ये लोग किसी वाहन का चालान करने को अधिकृत हैं। वास्तव में चैकिंग व चालान करना तो इनका उद्देश्य भी नहीं था। इनका उद्देश्य तो चैकिंग के बहाने वाहनों को रोकना व उनको डरा-धमका कर अवैध वसूली करना ही था। जब सड़क पर नीली बत्ती जगमग करती पुलिस की गाड़ी खड़ी हो और दो सशस्त्र पुलिसकर्मी 'चैकिंग' का नाटक करने लगें तो साधारण वाहन चालकों का डर जाना व धमकी में आना स्वाभाविक ही है। बस इसी स्वभाव का लाभ ये लोग उठा कर अपनी जेबें भरने में जुटे थे।

यद्यपि पुलिस कमिश्नर इस प्रकार की किसी घटना की जानकारी से साफ़ इन्कार करते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि उक्त चैकिंग की शिकायत किसी ने उच्चाधिकारियों से कर दी जिनके आदेश पर पुलिस कमिश्नर ने एसीपी ट्रैफ़िक राजकुमार को मौके पर भेजा, जिन्होंने उक्त दोनों को रंगे हाथों मौके से पकड़ कर लाइन हाजिर कर दिया तथा अपने लिये नये गनमैन व ड्राइवर नियुक्त करा लिये। पूछे जाने पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हो सकता है कि एसीपी ने उक्त कार्यवाही सीधे अपने तौर पर सूचना पाकर की हो, यदि उन्होंने ऐसा किया है तो अच्छा ही किया है और अब वे उनसे पूछेंगे कि उन दोनों के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई?

जब उन्हें यह बताया गया कि उनके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है, बल्कि पकड़े गये ड्राइवर को तो उनकी एस्कार्ट गाड़ी का अस्थाई तौर पर ड्राइवर भी लगा दिया गया है तो उन्होंने कहा कि वे अपनी एस्कार्ट गार्द के एक-एक आदमी को निजी तौर पर जानते-पहचानते हैं और ऐसा कोई आदमी उनकी गार्द में नियुक्त नहीं हुआ है। लेकिन अति भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि इस संवाददाता से बातचीत के तुरंत बाद कमिश्नर ने उस ड्राइवर को अपनी गार्द से भगा दिया।

इन सब विरोधाभासी बातों को छोड़ भी दिया जाये तो मुख्य प्रश्न ये खड़े होते हैं कि दो पुलिसकर्मियों की इस तरह से चैकिंग के नाम पर लूट करने की हिम्मत कैसे हो गई? पकड़े जाने के बाद इसकी जानकारी तक पुलिस कमिश्नर को न होना और उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही के बजाय उन्हें फिर से ड्यूटी पर तैनात करने का क्या अभिप्राय है? क्या दो पुलिसकर्मियों का लाइन हाजिर होना और उनके बदले एसीपी को दो नये पुलिससकर्मी मिलने के लिये पुलिस कमिश्नर की स्वीकृति न सही, जानकारी होना जरूरी नहीं है? क्या उन दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 384 व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर के उन्हें तुरंत हवालात में बंद नहीं कर दिया जाना चाहिए था? इन सब प्रश्नों के उत्तर बेशक अधिकारी न दे पायें, लेकिन यह स्वतः सिद्ध है कि यह सारा घोटाला अफ़सरों की मिलीभगत एवं रजामंदी से ही चलता है। पकड़े जाने एवं पोल खुल जाने पर सारे अफ़सर अनजान बन कर ठोकरा सिपाहियों के सिर फोड़ देते हैं और बाद में चुपके से उन्हें बचा भी लेते हैं। वरना छोटे मुलाजमों की इतनी हिम्मत कहां जो वे इस तरह से लूटपाट कर सकें।

ट्रैफ़िक पुलिस का ध्यान व्यवस्था की अपेक्षा वसूली पर रहता है

देश भर के जब सारे महकमे लूट-खसूट में लगे हुए हैं तो ट्रैफ़िक पुलिस वाले कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्हें भी सांसारिक वैभव भोगने हैं। हर सड़क, हर चौराहा, चाहे राज मार्ग हो या शहर की भीतरी सड़कें, जाम ही जाम नज़र आते हैं। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। सड़कों पर अवैध वाहनों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। जो ट्रैक्टर केवल खेतों में चलने के लिये बने हैं, जिनका सड़कों पर चलना पूर्णतया वर्जित है, जिसके बदले उनका रोड टैक्स भी पूरी तरह माफ़ किया जा चुका है, आज सड़कों पर ईंट, पत्थर, रेती, लोहा और न जाने क्या-क्या ढोते मिलेंगे। इनकी ट्रालियां व ट्राले किसी नियम-कानून से बंधे नहीं हैं। इनके ऊपर नंबर प्लेट, पीछे लाल बत्ती, ट्रैक्टर की हैडलाइट आदि की तो बात ही छोड़ो, लाल रिफलेक्टर तक नहीं लगा होता। इनके चालक ड्राइविंग लाइसेंस रखना भी जरूरी नहीं समझते। सड़क पर चलते वक्त इनसे किसी ने बचना हो तो बच ले, इन्हें तो किसी से बचने की जरूरत नहीं है। सड़क पर चलने की इजाजत न होते हुए भी ये ट्रैक्टर बेखौफ़ सड़कों पर मुफ़्त में नहीं घूम रहे हैं। इसके लिये ये लोग बाकायदा ट्रैफ़िक पुलिस को महीना देते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शहर में 1200 ट्रैक्टर तो ऐसे हैं जो 500 से 1000 रुपया मासिक देते हैं। इनके अलावा जो ट्रैक्टर चलते हैं, वे 50 रुपये की एंट्री फ़ीस अदा करते हैं।

राजमार्ग सहित शहर भर में कई स्थानों पर नो एंट्री होती है, यानी उस समय पर भारी वाहन नहीं चलेंगे। यदि कोई भारी वाहन इन समयों पर एंट्री कर जाये तो उसे 100-200 रुपये देकर जान छुड़ानी पड़ती है। बड़ी-छोटी लगभग सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने इस रोज-रोज की चिकचिक से बचने के लिये महीना बांध लिया है। इसके बाद इनके ट्रक एवं ट्राले जैसे मर्जी सड़कों पर जाम लगायें। कोई ट्रैफ़िक वाला इन्हें रोकने की गुस्ताखी नहीं कर सकता। कहने की जरूरत नहीं है कि लाखों रुपये की ये मंथलियां सिपाहियों के लिये नहीं, बड़े अफ़सरों के लिये होती हैं। सिपाहियों में से तो वही थोड़ा-बहुत मुंह मार सकता है जो अफ़सरों के बहुत नज़दीक होता है। वह भी मंथली में से नहीं, बल्कि उसे खुद अपने शिकार के मौके उपलब्ध करा दिये जाते हैं। उसे किसी साधारण चौक पर हाथ हिलाने की बजाये गुडइयर, बदरपुर बार्डर, बड़खल चौक जैसे कमाई वाले प्वाइंट दे दिये जाते हैं। कोई ज्यादा ही मुंह लगता हो तो उसे रात में 'चैकिंग' करने का मौका भी दे दिया जाता है। यही लोग मंथली इकट्ठी कर के सुरक्षित ढंग से अपने अफ़सरों को ला कर देते हैं।

उपलब्ध भरोसेमंद जानकारी के अनुसार ट्रालों वाली एक कंपनी मौर्या उद्योग 100,000 रुपया, बल्लबगढ़ वाले गुप्ता जिनके ट्राले हार्डवेयर चौक के निकट लाल मिल पर गदर मचाते हैं 30,000 रुपये, सत्कार व दुर्गा बस वाले बीस-बीस हज़ार, क्राउन बस वाले 5000 रुपये संदन अ्रक वाले 10,000 रुपये मासिक अदा करते हैं। गुडइयर के निकट बने स्टील अथारिटी के यार्ड से माल उठाने वाली ट्रालों की छः कंपनियां -अरोड़ा, टीटू पाल, एसडीआरएल, भडाना, भजन व श्याम 25000 गुणा छः यानी छहों कंपनियों द्वारा कुल 150,000 रुपये मासिक देना इनकी मजबूरी है। बिना दिये ये एक दिन भी चल नहीं सकते, क्योंकि नो एंट्री चक्कर तो है ही, बाकी जो मर्ज़ी चक्कर पुलिस वाले चला दें, यह उनके हाथ में है।

ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे सीमेंट वाले 10000 मासिक इस बात के देते हैं कि उन्हें तंग न किया जाये। इसी तरह बीआरसी कंपनी वाले 20000 रुपये सीमेंट कंक्रीट मिक्सर कंपनियां अपने डमरू ट्रकों को सुरक्षित चलाने के लिये एसीसी वाले 35000, एल एंड टी वाले 20000 रुपये तथा मंगला वाले भी 20000 रुपये मासिक देते हैं। इनके ट्रकों को यदि दो घंटे भी पुलिस ने सड़क पर रोक दिया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसी नुकसान से बचने के लिये मंथली देना जरूरी है।

बदरपुर फ्लाई ओवर बनाने वाली हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो अपने पुल के टुकड़ों को मिर्जापुर (तिगांव रोड) से ट्रालों पर ढोती है, 40000 मासिक देती है गोपी और बिरजू तो सदाबहार देनदार हैं ही। ये तो केवल उदाहरण मात्र हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके नाम लिखने में पूरा अख़बार ही भर जायेगा। छोटे मुलाजमान का कहना है कि पहले इन सब कंपनियों से वे सीधे मंथली ला कर सब में बांट लेते थे, लेकिन अब अफ़सरों के पेट बड़े हो गये हैं। वे कंपनी वालों को कहते हैं कि इन्हें (सिपाहियों को) किस बात के पैसे देते हो, इनका काम तो चौकों पर हाथ हिलाना भर है, इन्हें कोई चालान करने की पावर थोड़े ही है। जाहिर है, ऐसे हालात में छोटे मुलाजिम और इधर-उधर शिकार की तलाश करेंगे ही, पेट तो उनके भी हैं। यह सब पाठकों की जानकारी में इसलिये लाया जा रहा है कि वे सड़कों पर अवैध, ओवरलोड वाहनों तथा जगह-जगह लगे जामों को देख कर या फिर सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों को देख कर झुंझलायें नहीं, क्योंकि वे सब ऐसा करने की बाकायदा कीमत अदा करके आये हैं। इसीलिये ट्रैफ़िक पुलिस का स्टाफ़ ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों सड़कों पर ट्रैफ़िक की व्यवस्था भी बिगड़ती जाती है। वरना आज जहां ट्रैफ़िक में दो एसीपी, दो इंस्पेक्टर, चार सब इंस्पेक्टर व 150 पुलिसकर्मी लगे हैं, वहां यदि ढंग का एक सब इंस्पेक्टर व 40 सिपाही लगा दिये जायें तो सारी व्यवस्था तुरंत ठीक हो सकती है। लेकिन यह सब अफ़सरों और राजनेताओं को रास नहीं आ सकता।

कमाऊ पूत को ही एसएचओ का चार्ज मिलता है

ट्रैफ़िक पुलिस का भी एक थाना है जिसका एक इंस्पेक्टर यानी थाना प्रबंधक होता है जो सारे लेन-देन का प्रबंधन करता है, किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। जब कभी वह छुट्टी व अन्य किसी काम से बाहर जाता है तो उसकी गैरहाज़िरी में एसएचओ का कार्यभार दूसरे इंस्पेक्टर या किसी सब इंस्पेक्टर को न सौंप कर तीन-चार ई-एएसआई में किसी एक को सौंपा जाता है। ई-एएसआई वास्तव में सिपाही ही होता है, केवल वर्दी एएसआई की पहनता है। यह सम्मानार्थ वर्दी उसे उसके सेवा काल की अवधि के अनुसार दी जाती है। लेकिन उसे एएसआई की शक्तियां नहीं दी जाती।

किसी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की बजाय ई-एएसआई को एसएचओ कार्यभार सौंपने के पीछे उद्देश्य केवल एक ही है कि लेन-देन का प्रबंधन केवल अपने विश्वसनीयों के बीच ही बना रहे। ऐसा ही एक ईएएसआई देवेन्द्र सिंह भी है जो बल्लबगढ़ में तैनात है। पिछले दिनों उसके द्वारा बढ़ती लूटमार के मद्देनज़र, सीपी ने उसे लाइन हाजिर कर दिया था।

लेकिन वह एक दिन भी लाइन में नहीं रहा और आज भी, बेशक बिना वर्दी के ही सही, बल्लबगढ़ के अड्डे पर तैनात रहता है और अपना वसूली अभियान चलाये हुए है। जानकार बताते हैं कि वहां के ट्रैफ़िक इंस्पेक्टर महेन्द्र सिंह ने उसे कई बार धमका लिया, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर नहीं। हो भी कैसे सकता है जब सीपी के आदेश की उसे परवाह नहीं तो बेचारा इंस्पेक्टर क्या चीज़ है। उसकी इस हेकड़ी के पीछे जानकार स्थानीय विधायक शारदा राठौर का हाथ देखते हैं।

'मार्गदर्शन' ने लगाया आटो चालकों के जख्मों पर मरहम

फरीदाबाद (म.मो.) शहर की ट्रैफ़िक व्यवस्था को नियंत्रित, सुरक्षित एवं सुचारू बनाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी हरियाणा पुलिस के काम में हाथ बंटाने के लिये पिछले दिनों अस्तित्व में आई मार्गदर्शन संस्था ने 6 जून, रविवार को सर्वोदय अस्पताल सेक्टर-8 में आटो चालकों के लिए एक डॉक्टरी जांच कैंप का आयोजन किया। संस्था के प्रेरणा स्रोत यहां के पूर्व एसपी एवं वर्तमान में गुड़गांव के संयुक्त पुलिस आयुक्त आलोक मित्तल बतौर मुख्य अतिथि कैंप में पधारे। कैंप में शिरकत करने वाले करीब 400 आटो चालकों में से लगभग सभी बदरपुर बार्डर स्टैंड के लोग थे, जिनका नेतृत्व कप्तान सिंह व बालकिशन करते हैं। ये लोग प्रातः 8.30 बजे से दोपहर लगभग एक बजे तक रहे। कुछ चालकों को दिहाड़ी टूटने का अफसोस था तो कुछ लोगों को कैंप से काफ़ी उम्मीदें भी थीं।

शहर भर में करीब 14000 आटो रिक्शा चलते हैं। कैंप में आये लोगों से उनकी समस्यायें पूछे जाने पर कुछ ने ड्राइविंग लाइसेंस में दलालों की बढ़ती दलाली का मुद्दा उठाया तो कुछ ने परिवहन विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले महंगे परमिट और उस पर बढ़ती दलाली का रोना रोया। किसी भी सड़क पर कहीं स्टैंड की व्यवस्था न होने से जहां एक ओर सड़कों पर जाम की स्थिति बनती है, वहीं दूसरी ओर सवारियों व आटो चालकों को भी भारी परेशानी के साथ-साथ ट्रैफ़िक पुलिस से भी खूब चिकचिक होती है।

इसके अलावा जब हाइवे से उतर कर इन्हें टूटी-फूटी सर्विस लेनों पर चलना पड़ता है तो काफ़ी कठिनाई होती है। ये सब समस्यायें तो इन लोगों ने गिनवाई, परंतु पुलिस द्वारा वसूली जाने वाली मंथली व फटीक का कोई जिक्र करने की हिम्मत ये लोग नहीं जुटा पाये। इसके अलावा शहर भर के मुख्य-मुख्य स्टैंडों पर बाकायदा चालकों से गुंडा टैक्स वसूला जाता है।

कहने की जरूरत नहीं कि पुलिस की मिलीभगत के बिना कोई गुंडा वसूली नहीं कर सकता। इस तरह की वसूली करने का अधिकार प्राप्त करने के लिये किसी भी स्टैंड का गुंडा पहले उस इलाके के थानेदार से सेटिंग करता है, क्योंकि वह उससे भी बड़ा गुंडा होता है। इस अधिकार को प्राप्त करने के एवज में थानेदार को पांच से दस हज़ार की मंथली नियमित रूप से दी जाती है। जाहिर है जो इतनी मंथली देगा तो वह 20-30 हज़ार अपने व अपने प्यादों के लिए भी बटोरेगा और इसका सारा बोझ आटो चालकों व जनता पर ही तो पड़ता है।

मुफ़्त डॉक्टरी जांच के नाम पर सर्वोदय अस्पताल ने इनका ब्लड प्रेशर व शुगर चैक करने के अलावा कुछ लोगों की ईसीजी भी कर दी इसके आगे के महंगे-महंगे टैस्ट - लिपिड प्रोफ़ाइल आदि-आदि मुफ़्त में करना सर्वोदय तो क्या किसी भी प्राइवेट अस्पताल के बस की बात नहीं।

शेष पेज 5 पर

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में नीलू प्रिंटिंग प्रैस, प्लॉट नं 3/1, टीसीसी कॉम्पलैक्स, सेक्टर-10, फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06